आदेश

पुलिस मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक–2363/पी–1, दिनांक–12.08.2016 द्वारा पु0अ0नि0 विजय कुमार भारती (क्रमांक–54) समस्तीपुर जिला को पु0नि0 की कोटि में प्रोन्नति देते हुए सी0टी0एस0 सिमुतल्ला जमुई में पदस्थापित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनुसंधानकर्त्ता श्री विजय कुमार भारती समस्तीपुर नगर थाना कांड सं0–42/13 दिनांक–01.03.13 धारा 409/420/307/326/120(बी)भा0द0वि0 के दिनांक–12.09.13 से दिनांक–04.03.2014 तक एवं पुनः दिनांक–25.12.14 से दिनांक–22.07.15 तक प्रभार में रहे हैं, इनके द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक (ड0नि0) अप0अनु0विभाग के द्वारा कांड में दिये गए निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया, न हीं कांड से सम्बन्धित अभिलेख आदि जप्त किया गया। लाईफ लाइन हॉस्पीटल के संचालक बिष्णुदेव प्रसाद आत्म समर्पण किया। न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया लेकिन इनका बयान श्री भारती द्वारा नहीं लिया गया, जबकि इनका बयान इस कारण से लिया जाना आवश्यक था कि ये नन मेडिको है। नामजद अभियुक्त से इनके द्वारा पृच्छा किया जाना चाहिए था कि संचालक द्वारा ऑपरेशन कार्य हेतु किन–किन चिकित्सकों को Hire किया गया तथा उक्त चिकित्सक के साथ ऑपरेशन कार्य में कौन–कौन शामिल थे लेकिन भारती द्वारा उनका बयान नहीं लिया गया।

इसी प्रकार नगर थाना कांड सं0–43/13 के प्रभार में ये दिनांक–01.03.13 से दिनांक–22.07.15 तक रहें इनके द्वारा पीड़ित लाभार्थी के जाँच से संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं किया गया। प्राप्ती सूची का उल्लेख नहीं किया गया।

पु0अ0नि0 विजय कुमार भारती के मामले में उ0म0नि0(ड0नि0) अप0अनु0विभाग, पटना के समीक्षोपरान्त दिनांक–24.06.16 को निर्गत पत्र में अनुसंधानक के द्वारा शिथिलता बरतने का तथ्य प्रमाणित हुआ है, और इसके आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। उक्त स्थिति में घटना की तिथि 24.06.16 होती है। इस प्रकार पुलिस मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक–2363/पी–1, दिनांक–12.08.16 से पुअ0नि0 विजय कुमार भारती (क्रमांक–54) को पु0नि0 की कोटि में दी गई प्रोन्नति रद्द किया जाता है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

11.4.17

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4489 /पी–1

4–9–33–16

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना दिनांक 11-4-2017

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा/पुलिस उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर/प्राचार्य सी0टी0एस0 सिमुलतल्ला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

11.4.17

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

D/mamta/P-1/kishori sir/Transfer/Aadesh